

अनुमति की शर्तें ।

- (i) लघु भवन/पूरा/अंश के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) विद्युत की तारों का बिना (न्यायिक, राजस्व, अनधिकृत या अन्य) शेष को बिना न विगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही बिना विद्युत सविपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन-निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

श्रीमत् श्रीमती व्यक्त्याधिकृत राष्ट्र डिजाइन अनुसार  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

कैवल  
राष्ट्र डिजाइन  
अनुसार

आवेदन क्रमांक 462 दिनांक 26/01/2020  
श्री सुधाशु मोदी डा. श्री राजा मोदी  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
धारा 194 (7) (घ) के तहत आधारीय  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6937/- जमा  
जरिये रसीद संख्या 2062/285, 286  
दिनांक 26/01/2020 को जमा करा दी है ।

डुकान संख्या 173/मी.एस.-4  
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड

27/1/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

637788017